न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—499 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 499)

1. श्रीमती कमला पुत्री श्री लादू पत्नी पप्पू पुत्र रूपां जाति रावत, निवासी ग्राम लामाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्री गुमान पुत्र लादू जाति रावत, निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
3. श्रीमती गीता पुत्री लादू पत्नी मदन पुत्र भोमा जाति रावत निवासी ग्राम कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. मदन पुत्र लादू जाति रावत, निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती सन्जू देवी पत्नी श्री पप्पू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

3. गोपाल पुत्र लादू जाति रावत निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. श्रीमती नौसर पुत्री लादू पत्नी बलदेव जाति रावत, निवासी ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर हाल निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
5. महिपाल पुत्र लादू जाति रावत, निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. माना पुत्र लादू जाति रावत, निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
7. श्रीमती शारदा पुत्री लादू पत्नी हरि पुत्र जस्सा जाति रावत, निवासी ग्राम कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
8. श्रीमती सुरमा पुत्री लादू जाति रावत, निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
9. श्रीमती सीता पुत्री लादू पत्नी प्रभू जाति रावत, निवासी—ग्राम ल्यालीखेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
10. श्रीमती सीमा पुत्री लादू पत्नी नानू जाति रावत, निवासी, ग्राम सरदारपुरा राजगढ के पास तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
11. श्रीमती पानी पत्नी लादू जाति रावत निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर दिनांक 26.08.2025 राजस्व वाद संख्या 35 / 2024

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 **तलवी बंद**

निर्णय

दिनांकः—15.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.08.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दिनांक 27.05.2024 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। जिस पर दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11, 13 व 14 के सम्मन लेने से इंकार की रिपोर्ट अंकित की गई तथा प्रतिवादी संख्या 12 की अदम तामीली होने से जरिए रजिस्टर्ड एडी से तामील करने हेतु सूचित किया गया तत्पश्चात दिनांक 15.01.2025 को पत्रावली वास्ते पूर्ववत कार्यवाही हेतु नियत रही तथा दिनांक 02.04.2025 को अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री फरमा दिया। तत्पश्चात दिनांक 08.05.2025 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गई तथा पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए तथा दिनांक 16.06.2025 को प्रतिवादीगण की अदम तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.08.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में भारी भूल की है कि प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण की विधिवत तामीली नहीं हुई तथा ना ही उनको पुनः तामीली हेतु नोटिस जारी किये गये तथा ना ही उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी सीधे ही प्रकरण को पूर्ण मानते हुए अपने प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 2.4.2025 से वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तत्पश्चात दिनांक 8.5. 2025 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गयी तथा पक्षकारान को नोटिस जारी किये गए तथा दिनांक 16.6.2025 को प्रतिवादीगण की अदम तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुई तत्पश्चात दिनांक 28.7.2025 एवं 12.8.2025 को पत्रावली वास्ते पूर्ववत कार्यवाही नियत की तथा दिनांक 26.8.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होना अंकित कर कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.8.2025 प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

प्रतिवादीगण की जो तामीली प्रस्तुत हुई उसमें सभी प्रतिवादीगण के नोटिस को प्रतिवादीगण द्वारा लेने से इन्कार करने की रिपोर्ट पर तामील मानते हुए तामीली पूर्ण की गयी जबकि उक्त नोटिस पर ना तो विधिनुसार समुचित गवाह के हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा जिन गवाहों के हस्ताक्षर उक्त नोटिस पर हैं वे पृथक–पृथक ग्राम के निवासी हैं जिन्हें वादीया एवं प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर की पूर्ण जानकारी, कब्जे काश्त की पूर्ण जानकारी नहीं है तथा जो प्रतिवादीगण को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। इस प्रकार वादीया द्वारा अजनबी व्यक्तियों से सांठ गांठ कर नोटिस पर उनकी गवाही करवा कर अविधिक रूप से तामीली पूर्ण करवायी है जो विधि विरूद्ध है। ऐसी अविधिक एवं अपूर्ण तामीली के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.4.2025 पारित किया तत्पश्चात दिनांक 8.5.2025 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पुनः अपीलांट्स को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर सीधे ही बावजूद सूचना अनुपस्थिति दर्शाते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जो कि विधि विपरीत होने से अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित करते समय भी प्रतिवादीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा अंतिम डिक्री पारित करते समय भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर अंतिम डिक्री पारित की है जो कि न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। वादीया को अपना वाद सिद्ध करने के लिए वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को जरिये साक्ष्य से प्रदर्श अंकित करवाने चहिये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ना ही दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करवाये फिर भी वादीया के कथन को स्वीकार करते हुए सी.पी.सी में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर अदृश्य रूप से वादीया को आंवछित लाभ प्रदान करने की नियत से अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.4.2025 पारित की है तथा उक्त विधि विरूद्ध प्राथमिक डिक्री के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की है जो Abuse Of Law And Procedure से बाधित होकर प्रथम दृष्टया ही अपील के माध्यम काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया द्वारा हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के आधार पर वाद वास्ते बंटवारा प्रस्तुत किया है जबकि वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने हक हिस्से बाबत ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह सिद्ध है कि वादीया का जो राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है वह विधिक है एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये जवाब दावा के स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार वादीया ने जानबूझ कर मनमाने ढंग से बंटवारे की डिक्री प्राप्त करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत कर सभी प्रतिवादीगण की अविधिक रूप से तामिली बताकर उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की आदेशिका को देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया को अवांछित लाभ प्रदान करने की नियत से अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर एवं विधि में वर्णित प्रावधान को नजर अन्दाज कर एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को ताक में रखकर वाद को शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करने में तत्परता दिखाई है एवं निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है तथा अंतिम डिक्री पारित करने में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्परता दिखाई है जो कि न्याय की मंशा नहीं है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधि

विपरीत होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.08.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुए विधि सम्मत कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत उभयपक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिए नोटिस किए जाने के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 02.04.2025 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए। तत्पश्चात प्रकरण में तहसीलदार पीसांगन से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.08.2025 को पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर खाता संख्या 157/333 के खसरा संख्या 1309, 1310, 1311, 1313, 1314 व खाता संख्या 156/332 के खसरा नम्बर 1312, 1313/1725 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादीया के हिस्से की भूमि का वादीया के पक्ष में अलग से खाता भी कायम करवाया जावे एवं वर्तमान राजस्व नक्शे में भी वादीया के हिस्से की भूमि का बंटवाडा में प्राप्त की तरमीम भी करवाई जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 एवं उनके वारिस अटार्नी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञप्ति प्रसारित की जाकर पाबंद किया जावे। इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 157 के खसरा नम्बर 1309, 1310, 1311, 1313, 1314 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5500 है0 के अपीलांट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 11 प्रत्येक खातेदार उक्त आराजीयात में 1/52 हिस्सा का खातेदार/काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त आराजीयात में 3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध अन्य

जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 156 के खसरा नम्बर 1312 व 1313/1725 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3700 के अपीलांट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 11 प्रत्येक खातेदार उक्त आराजीयात में 1/26 हिस्सा का खातेदार/काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स उक्त आराजीयात के सहखातेदार/सहकाश्तकार दर्ज हैं तथा एक सहखातेदार अपनी आराजीयात का विधिक बंटवारा करवाने का हक अधिकार अपने में सुरक्षित रखता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को दिनांक 27.05.2024 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 ने सम्मन लेने से इंकार किया गया प्रतिवादी संख्या 12 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड एडी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रकरण में विधि सम्मत रूप से निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2025 पारित की गई। उभयपक्षकारान को कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत नोटिस जारी किए गए परंतु प्रतिवादीगण/अपीलांट तत्समय भी अनुपस्थित रहे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 07.05.2025 को मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व पत्रावली को पुनः नम्बर पर ली गई। प्रतिवादीगण/अपीलांट प्रकरण में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.08.2025 पारित की गई।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को विधिवत रूप से जरिए नोटिस सूचना प्रदान की गई थी बावजूद उसके प्रतिवादीगण/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार कार्यालय से मौका कुर्रेजात बाबत उभयपक्षकारान को नोटिस दिनांक 24.04.2025 को जारी किए गए थे। नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण/अपीलांट बंटवारा प्रस्ताव के समय मौके पर उपस्थित नहीं होने से तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। तहसीलदार द्वारा बंटवार प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। जिसमें किसी भी पक्षकार का हक व हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है तथा बंटवारा प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स व बाउण्डस के आधार पर किया गया है। तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय मौके व कब्जे का पूरा ध्यान रखा गया है। तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर नजरी नक्शे में उभयपक्षों की आराजीयात को अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया है तथा उक्त नजरी नक्शे में यह भी स्पष्टतया प्रतीत होता है, प्रत्येक काश्तकार के पास अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ते का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। परंतु पत्रवली पर उपलब्ध नोटिसों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलांट को उपस्थित होने हेतु प्राथमिक डिक्री व कुर्रेजात रिपोर्ट/अंतिम डिक्री में जरिए नोटिस सूचना प्रेषित किए जाने के बावजूद भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना

पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 के तहत अनुतोष प्राप्त करने का अवसर भी उपलब्ध था परंतु अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है तथा अपीलांट यह बताने में भी विफल रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किस प्रकार त्रुटि कारित की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.08.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर